A7/1

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री उदयभानु चारण,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर राजस्व वाद 150/2010

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1.श्रीमती देवी पुत्री श्री करणीया पत्नी श्री राजुराम उर्फ राजाराम जाति मेघवाल निवासी बिठूजा तह0 पचपदरा		1. बगदाराम उर्फ बगदीया पुत्र श्री फुसा जाति मेघवाल निवासी असाड़ा 2. भटाराम पुत्र श्री गिरधारीराम जाति मेघवाल 3. चेलाराम पुत्र श्री कानाराम जाति मेघवाल निवासी बालोतरा तह0 पचपदरा 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पचपदरा

दावा बाबत अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : 1. श्री प्रेमसिंह वादी वकील
2. श्री अचलाराम वकील प्रतिवादीगण

दिनांक 18.8.2015

निर्णय

वादीनी ने यह वाद अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है ।

वाद के मुख्य तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी सं0 1 का खानदानी सजरा वाद के पद सं0 1 में वर्णित अनुसार है। खेत खसरा सं0 546 रकबा 27.14 सरहद मौजा असाड़ा में आया हुआ है जो वादीनी के पिता करणीया के खातेदारी का था। हिन्दु उत्तराधिकारी की प्रथम अनुसुची व धारा 40 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम के अनुसार वादीनी करणीया की एकमात्र वारीस होने से व मृतक करणीया के फौत होते ही वादीनी करणीया की खातेदारी भूमि की स्वत्व ही खातेदार हो गई।वादीनी के पिता करणीया की मृत्यु होने पर वादीनी नाबालिग होने के कारण उसके काका प्रतिवादी सं0 1 ने नाबालिग होने कर फायदा उठाकर करणीया की कोई औलाद न दर्शाते हुये अपने आप के नाम का म्युटेशन राजस्व अधिकारियों से मिल कर अपने नाम भरवा लिया। जबकि करणीया की पुत्री देवी वादीनी जिन्दा वारिस है तथा करणीया की पत्नी विरजु फौत हो चुकी है। करणीया की खातेदारी भूमि में वादीनी का पूर्ण हिस्सा खातेदारी का वादीनी है। वादीनी अपने हक हिस्से अनुसार कजा काश्त है। वादीनी का नांम पिता करणीया की भूमि में नही करने से वादीनी ने प्रतिवादी सं0 1 से रेकर्ड दुरूस्ती हेतु दिनांक 5.11.10 को कहा तो इन्कार हो गये व प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में उप पंजीयक जसोल से बेचान रजिस्टर्ड करवा दिया तथा उक्त खसरे का म्युटेशन ग्राम पंचायत असाड़ा में प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपने नाम दिनांक 20.11.2010 को भरवा दिया वादीनी ने अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी सं0 2 व 3 को नही किया प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादीनी के हक हिस्से की भूमि का किया बेचान वादीनी के हकों के विरूद्ध निष्प्रभावी है व ऐसे बेचान से वादीनी पाबंद नही है। अतः बेचान अवैद्य व शून्य है। वादीनी को अपने हकों की सुरक्षा हेतु अधिकारों की घोषणा व निषेधाज्ञा का दावा लाना आवश्यक हो गया। अतः वादीनी ने वाद पेश कर वादीनी के पूर्ण हिस्से खसरा सं0 546 रकबा 27.14 बीघा भूमि का खातेदारी काश्त घोषित कराने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का निवेदन किया है। वादीनी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया ।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 का सम्मन तामिल सुदा प्राप्त होने के बावजूद इत्तला के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी सं 2 व 3 की ओर से उनके वकील उपस्थित हुये जिन्होने वाद पत्र के सभी पदो का जबाब प्रस्तुत कर वाद पत्र अस्वीकार कर वादी का वाद मय खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया गया ।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण से बहस सुनी व पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया।

वाद पत्र के लिये न्यायालय द्वारा निम्न लिखित विचारणीय बिन्दु (तनकीयात) कायम किये गये :–

1. आया खेत खसरा सं0 546 रकबा 27.14 ग्राम असाड़ा में वादिनी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारीणी है ? वादीनी
2. आया वादिनी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारीनी है? वादीनी
3. सप्रतिफल पंजीकृत विक्रय विलेख की वैद्यता एवं विधी मूल्यता को जांच या परखने का क्षैत्राधिकारी श्री राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकारी न होने आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी की तहत वाद रिजेक्ट किये जाने योग्य है ? प्रतिवादीगण

तनकी वार निर्णय

तनकी संख्या 1 . आया खेत खसरा सं0 546 रकबा 27.14 ग्राम असाड़ा में वादिनी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारीणी है ? वादीनी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीनी पर था उक्त तनकी के सम्बन्ध मे वादीनी ने पी डब्लू 1 के शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4, पी डब्लू 2 के शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 के प्रस्तुत किये एवं बयान कलमबद्ध किये गये । साक्ष्य में ई एक्स 1 जमाबंदी संवत 2020 से 2023 मौजा असाड़ा की सत्य प्रति, ई एक्स 2 जमाबंदी संवत 2064 से 2067 मौजा असाड़ा की सत्य प्रति, ई एक्स 3 नक्शा कि तवार मौजा असाड़ा की सत्य प्रति, एवं जामाबंदी संवत 2012 की छाया प्रति पेश की ।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पी डब्लू 1 , के शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 का अवलोकन किया गया । पी डब्लू 1 स्वयं वादीनी का शपथपत्र है प्रस्तुत शपथ पत्र मे पी डब्लू 1 ने प्रस्तुत वाद पत्र के कुछ पदो को दोहराया गया है ।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पी डब्लू 2 , के शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 का अवलोकन किया गया । पी डब्लू 2 वादीनी के गवाह सवाराम का शपथपत्र है जिसने अपने शपथ पत्र में वादीनी के वाद का समर्थन किया है।

प्रतिवादीगण की ओर से डी डब्लू 1, डी डब्लू 2, व डी डब्लू 3 के आदेश 18 नियम 4, का शपथ पेश कर बयान कलमबद्ध करवाये। साक्ष्य में ई एक्स ए 1, जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 मौजा असाड़ा की सत्य प्रति, ई एक्स ए 2 जमाबंदी संवत् 2036 से 2038 मौजा असाड़ा की सत्य प्रति , ई एक्स ए 3 जमाबंदी संवत् 2040 से 2043 मौजा असाड़ा की सत्य प्रति, ई एक्स ए 4 जमाबंदी संवत् 2044 से 2046 मौजा असाड़ा की सत्य प्रति, ई एक्स ए 5 जमाबंदी संवत् 2048 से 2051 मौजा असाड़ा की सत्य प्रति, ई एक्स ए 6 जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 मौजा असाड़ा की सत्य प्रति, ई एक्स ए 7 जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 मौजा असाड़ा की सत्य प्रति, ई एक्स ए 8 गिरदावरी संवत् 2032 से 2035 मौजा असाड़ा, ई एक्स ए 9 गिरदावरी संवत् 2040 से 2043 मौजा असाड़ा, एक्स ए 10 गिरदावरी संवत् 2044 से 2046 मौजा असाड़ा, एक्स ए 11 गिरदावरी संवत् 2048 से 2051 मौजा असाड़ा, एक्स ए 12 गिरदावरी संवत् 2056 से 2059 मौजा असाड़ा, एक्स ए 13 गिरदावरी संवत् 2060 से 2063 मौजा असाड़ा की सत्य प्रति पेश की।

वादीनी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन व अध्ययन किया गया । न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2020 से 2023 ई एक्स

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Scanned by CamScanner

मौजा असाड़ा तहसील पचपदरा के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि विवादित खेत खसरा नमबर 546 रकबा 27.14 बीघा किस्म बारानी दोयम करणिया वल्द फुसा जैम भांबी सा0 देह खातेदार से नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है । वादीनी स्व0 करणिया की एकमात्र वारिस होने से मृतक करणिया के फौत होते ही वादीनी करणिया की उक्त खातेदारी भूमि स्वत्व ही खातेदार हो गई । अतः तनकी सं0 1 का निर्णय वादीनी के पक्ष में किया जा कर वादीनी को खेत खसरा सं0 546 रकबा 27.14 ग्राम असाड़ा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तनकी संख्या 2.: आया वादिनी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारीनी है ?

चूंकि वादीनी तनकी संख्या 1 जो मुख्य अनुतोष अधिकारों की घोषणा मे है को साबित करने मे सफल रही है तनकी संख्या 2 परिणामिक तनकी है चूंकि वादीनी वाद से सम्बन्धित भूमि की खेत खसरा सं0 546 रकबा 27.14 ग्राम असाड़ा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारीणी हो चुकी है इसलिये प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जाता है कि वह वादिनी के हिस्से मे की गई भूमि मे कोई दखल हस्तक्षेप कारित नही करे ।

तनकी सं0 3:– सप्रतिफल पंजीकृत विक्रय विलेख की वैद्यता एवं विधी मूल्यता को जांच या परखने का क्षैत्राधिकारी श्री राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकारी न होने आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी की तहत वाद रिजेक्ट किये जाने योग्य है? प्रतिवादीगण

चूंकि तनकी सं0 1 व 2 का निर्णय वादीनी के पक्ष में होने से उक्त खेत खसरा 546 रकबा 27.14 बीघा वादीनी की खातेदारी भूमि होने से प्रतिवादी सं0 1 द्वारा किया गया बेचान वादीनी के हकों के विरूद्ध निष्प्रभावी है ऐसे बेचान से वादीनी पाबन्द नही है अतः सप्रतिफल पंजीकृत विक्रय विलेख की वैद्यता एवं विधी मूल्यता अवैद्य व शून्य होने से प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई राहत पाने के अधिकारी नही है। अतः उक्त तनकी का भी निणैय वादीनी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीनी वाद स्वीकार किया जा कर मौजा असाड़ा के खेत खसरा सं0 546 रकबा 27.14 बीघा का वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम अमल दरामद करें। प्रतिवादीगण को इस आशय की निषेधित किया जाता है कि वह वादीनी के हक हिस्से की भूमि में कोई दखल हस्तक्षेप नही करें। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय दिनांक 18.8.2015 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

18/8/15

(उदयभानु चारण)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned by CamScanner